

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : राजेन्द्र सिंह चांदावत, आर0ए0एस0

खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 40/2025

प्रार्थी -

राजस्थान सरकार जरिये खाद्य
सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थीगण -

1. रतनलाल पुत्र मुकनाराम जाति माली
निवासी निवासी उतरलाई (मैसर्स एम
आर मिनी मार्ट, उतरलाई का विक्रेता
व मालिक)
2. ओम प्रकाश पुत्र हरी राम (मैसर्स
शक्ति टी कं. उदयन विद्या मंदिर के
पास, बलदेव नगर, बाड़मेर का
मालिक)

परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) सहपठित धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं
मानक अधिनियम, 2006

उपस्थिति :-

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र शर्मा उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 25.11.2025

1. प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा धारा 26 की उप
धारा (2)(ii) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा 51 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम,
2006 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी
बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अप्रार्थी संख्या 1 की फर्म
मैसर्स एम आर मिनी मार्ट, उतरलाई पर निरीक्षण दिनांक 08.11.2024 को खाद्य पदार्थ
घी ब्राण्ड बिलोना एक कार्टून में भरा हुआ, को मिलावट का होने के शक पर
नियमानुसार घी ब्राण्ड बिलोना में से 500-500 एमएल वास्ते नमूना क्रय किया जाकर
नमूना संख्या पी-2689 अंकित कर इसकी जांच खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम,
2006 के तहत कराये जाने हेतु प्रपत्र-5(ए) भरकर अप्रार्थीगण एवं गवाह व विक्रेता के
हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त खाद्य पदार्थ घी ब्राण्ड बिलोना का नमूना वास्ते जांच
खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य
विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ घी
ब्राण्ड बिलोना का नमूना अवमानक पाये जाने पर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस सूचना



दी गई, जिस पर अप्रार्थी द्वारा सैम्पल की द्वितीय जांच निर्दिष्ट प्रयोगशाला में करवाने का प्रार्थना-पत्र किया। इस पर उक्त नमूना जांच हेतु निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला मैसूर को भिजवाया गया जिसमें जांच उपरान्त रिपोर्ट दिनांक 22.02.2025 में उक्त नमूना अवमानक (Substandard) स्तर का पाया गया है। इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाडमेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।

2. अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण जरिये अधिकृत प्रतिनिधिगण उपस्थित। अधिकृत प्रतिनिधिगण ने लिखित जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी द्वारा तथाकथित बरामद घी सब स्टेण्डर्ड की श्रेणी में नहीं आता है। राज्य खाद्य प्रयोगशाला जोधपुर में खाद्य विश्लेषक द्वारा जांच रिपोर्ट में नमूना पैकेट 900 एम एल व केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला (निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला मैसूर की जांच रिपोर्ट में नमूना 900 ग्राम में बताया गया है। जिससे यह भी साबित होता है कि नमूना वास्तविक रूप से नेट वनज 01 लीटर में नहीं था। इस कारण नमूनीकरण की कार्यवाही अधिनियमानुसार नहीं होने के कारण परिवाद पत्र दुषित हो जाने से प्रार्थीगण को दोषी ठहराया जाना न्याय संगत नहीं है। लिहाजा अप्रार्थीगण को दोषमुक्त करते हुए उनके विरुद्ध प्रस्तुत प्रकरण खारिज की जावे।
3. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद का अवलोकन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी में माना गया है। अप्रार्थी के प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ के नमूना की निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला मैसूर से प्राप्त नमूना जांच रिपोर्ट दिनांक 22.02.2025 में उक्त नमूना अवमानक (Substandard) स्तर का पाया गया है। निर्दिष्ट प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट अनुसार Polansky value का मानक स्तर 0.5-2.0 के मुकाबले 2.80 पाया गया है, Saponification Value का मानक स्तर 205-235 के मुकाबले 240.64 पाया गया है तथा Test for the presence of Vegetable oils का मानक स्तर Shall be absent के मुकाबले Present पाया गया है जो कि मानक स्तर का नहीं है। इस पर प्रार्थी की ओर से यह परिवाद प्रस्तुत होने पर जरिये नोटिस जवाब हेतु अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा अपने जवाब में निवेदन किया गया कि अप्रार्थी द्वारा तथाकथित बरामद घी सब स्टेण्डर्ड की श्रेणी में नहीं आता है। राज्य खाद्य प्रयोगशाला जोधपुर में खाद्य विश्लेषक द्वारा जांच रिपोर्ट में नमूना पैकेट 900 एम एल व केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला (निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला मैसूर की जांच रिपोर्ट में नमूना



900 ग्राम में बताया गया है। जिससे यह भी साबित होता है कि नमूना वास्तविक रूप से नेट वजन 01 लीटर में नहीं था। इस कारण नमूनीकरण की कार्यवाही अधिनियमानुसार नहीं होने के कारण परिवाद पत्र दुषित हो जाने से प्रार्थीगण को दोषी ठहराया जाना न्याय संगत नहीं है। लिहाजा अप्रार्थीगण को दोषमुक्त करते हुए उनके विरुद्ध प्रस्तुत प्रकरण खारिज की जावे। अप्रार्थीगण द्वारा उनके व्यवसाय में जिस खाद्य पदार्थ का विक्रय किया जा रहा था, उसकी गुणवत्ता व मानकता के प्रति अपने दायित्व से विमुक्ति का प्रयास किया गया है। अप्रार्थी की फर्म से लिया गया खाद्य पदार्थ का नमूना अवमानक पाया गया है तथा खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं उसके अधीन बनाये गये विनियमों की सम्पूर्ण पालना किया जाना आवश्यक एवं बाध्यकारी है। लिहाजा अप्रार्थीगण के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्मा प्रमाणित हैं।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरांत अप्रार्थी के विरुद्ध अपराध धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 प्रमाणित होने से अप्रार्थी संख्या 01 पर रूपये 50,000/- जुर्माना एवं अप्रार्थी संख्या 02 पर रूपये 1,00,000/- जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अप्रार्थीगण उक्त जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम पेश करें, जो पेश होने पर सम्बन्धित अधिकारी को राजकोष में जमा करवाने हेतु भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।
5. आदेश आज दिनांक 25.11.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(राजेन्द्र सिंह चाडवाले)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर